



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2567]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 9, 2013/कार्तिक 18, 1935

No. 2567]

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 9, 2013/KARTIKA 18, 1935

गृह मंत्रालय

(आंतरिक सुरक्षा-I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2013

का. आ. 3406(अ) – चूंकि, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने दिनांक 1 सितम्बर, 2010 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 1 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 2163 (अ.) के द्वारा बम विस्फोट के मामलों के विशिष्ट मुकदमों के लिए सेशन न्यायालय को उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के उद्देश्य से संपूर्ण तमिलनाडु राज्य में अनुसूचित अपराधों के मुकदमों चलाने के क्षेत्राधिकार युक्त विशेष न्यायालय के तौर पर अधिसूचित किया था।

तथा चूंकि श्री थिरू के. दक्षिणामूर्ति, प्रथम न्यायाधीश, सिटी सिविल न्यायालय, चेन्नई जिन्हें उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता हेतु दिनांक 22 अगस्त, 2012 को भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 22 अगस्त, 2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 1940 (अ.) द्वारा न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया था जो दिनांक 31 जुलाई, 2012 को सेवानिवृत्त हो गए थे।

अतः इस कारण उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, दिनांक 22 अगस्त, 2012 को भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-II, खण्ड -3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 22 अगस्त, 2012 की अधिसूचना सं. का.आ.1940 (अ.) का अतिक्रमण करते हुए सिवाय उन बातों को छोड़कर जो ऐसे अतिक्रमण के पूर्व की गई या करने हेतु छोड़ दी गई, माननीय मुख्य न्यायाधीश, मद्रास न्यायाधिकरण उच्च न्यायालय की सिफारिश पर श्री थिरू वी. रामास्वामी जिला न्यायाधीश, को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता हेतु न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-IV (भाग)]

राकेश सिंह संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(INTERNAL SECURITY-I DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2013

S. O. 3406(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had notified, vide notification number S. O. 2163 (E), dated the 1st September, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 1st September, 2010, the Sessions Court for exclusive trial of Bomb Blast Cases, Chennai as the Special Court for purposes of said sub-section (1) of Section 11 of the said Act having Jurisdiction throughout the State of Tamil Nadu for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Thiru K. Dakshinamoorthy, 1st Additional Judge (TADA), City Civil Court, Chennai, was appointed as the Judge to preside over the said Special Court vide notification number S.O. 1940 (E), dated the 22nd August, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 22nd August, 2012, who retired on the 31st July, 2012;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 11 of the said Act, and in supersession of the notification number 1940 (E), dated the 22nd August, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (ii), dated the 22nd August, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Judicature at Madras, hereby appoints Thiru V. Ramasamy, District Judge as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-IV (Pt.)]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.